

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2327  
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023  
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

बिहार में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

2327. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन-सा चरण कार्यान्वित किया जा रहा है;
- (ख) बिहार में उक्त योजना के सभी चरणों के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है; और
- (ग) इस योजना पर बिहार में अब तक खर्च की गई धनराशि का चरण-वार ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री  
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोलन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वर्तमान में मंत्रालय स्कीम के चौथे चरण अर्थात् पीएमकेवीवाई 4.0 को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोलन्नयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान किया जाता है। एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं और आरपीएल में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शामिल है। पीएमकेवीवाई के तहत, वर्ष 2015 से दिनांक 31.10.2023 तक, बिहार राज्य में 1.28 लाख उम्मीदवारों को जॉब मिलने की सूचना है।

(ग) पीएमकेवीवाई 1.0 को केंद्रीय रूप से कार्यान्वित किया गया था। पीएमकेवीवाई 1.0 के तहत, बिहार राज्य में 51.59 करोड़ रुपए वितरित किए गए।

पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, इसके दो घटक अर्थात्, केंद्रीय घटक के रूप में पहचाना जाने वाला केंद्र प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया और राज्य घटक के रूप में पहचाना जाने वाला केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

पीएमकेवीवाई 2.0 के सीएससीएम घटक के तहत, बिहार राज्य में 390.10 करोड़ रुपए वितरित किए गए। पीएमकेवीवाई 2.0 के सीएसएसएम घटक के तहत, बिहार राज्य को 36.82 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए, जिनमें से 5.96 करोड़ रुपए का उपयोग बिहार राज्य द्वारा किया गया।

पीएमकेवीवाई 3.0 के सीएससीएम घटक के तहत, बिहार राज्य में 38.42 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

पीएमकेवीवाई 4.0 को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, दिनांक 31.10.2023 तक, केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में 9.24 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*